विलोपित विलोपित विलोपित विलोपित

(175)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन-0069/2019/पन्ना/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक R3586/2018 पुर्नविलोकन

चिड्डा चमार (मृतक) वारिसान – नन्दलाल
पिता स्व. चिड्डा चमार, निवासी ग्राम सिलगी,
तहसील देवेन्द्र नगर, जिला पन्ना (म.प्र.)

—— आवेदक

बनाम

गिल्लीबाई (मृत) वारिसान –

1. श्रीमती सिरवतिया पुत्री गिल्लीबाई
पत्नी मूलचन्द्र निवासी जुडेहा, तहसील नागौद,
जिला सतना (म.प्र.)
2. श्रीमती परमी पुत्री गिल्ली बाई
पत्नी बन्दी, ग्राम हडहा, तहसील नागौद,
जिला सतना (म.प्र.)
3. श्रीमती न्योरी पुत्री गिल्ली बाई
पत्नी लोटना, ग्राम मौहारी, तहसील नागौद,
जिला सतना (म.प्र.)
हाल निवासी ग्राम सिलगी, तहसील देवेन्द्र नगर
जिला पन्ना (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

वी० के० गुप्ता
द्वारा आज दि० 10/01/19 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 28/01/19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-1-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र बावत् किये जाने पुर्नविलोकन श्रीमान् जी द्वारा निगरानी क्रमांक प्रकरण 3586/2018 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

प्रकरण कमांक रिव्यु 0069/2019/पन्ना/भू0रा0

चिड्डा चमार मृत वारिस विरूद्ध गिल्लीबाई मृत वारिस

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-8-2019	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3586/2018/पन्ना/भू0रा0 में पारित आदेश दिनांक 16–7–2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक की ओर से प्रकरण में वारिसान आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपील निरस्त की गई थी। उक्त आदेश को निगरानी में भी उचित पाया था जिसके विरूद्ध यह पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया है। यह पुरावलोकन भी इस न्यायालय में करीब 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया है। नकल प्राप्ति में लगे समय को भी कम कर दिया जाये तब भी 5 माह से अधिक समय का विलम्ब है। विलम्ब के सम्बंध में कोई ठोस समाधानकारक कारण भी नहीं बतलाये गये हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1. नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2. अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने एवं अवधि बाह्य होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आवेदक सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे0के0 जैन) सदस्य	